प्रार्थी आसुराम बनाम विप्रार्थीगण चेनाराम बवैरा

(1रु. कोर्ट फी COURT FEE Re.1)

राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

जिला–बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. खेयाली पुत्र दाऊद जाति मुसलमान निवासी झड़पा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. जगिसा पत्नी बादल 2. खंडी पत्नी दाऊद 3. तमाचीखान पुत्र दाऊद जातियान मुसलमान निवासी झड़पा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 4. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सेड़वा। 5. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.....187..../2025

17/06/25 प्रार्थी खेयानी पुत्र दाऊद जाति मुसलमान निवासी झड़पा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री पवन धारीवाल** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा झड़पा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 285 के खसरा संख्या 178 रकबा 16–0660 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा झड़पा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 285 के खसरा संख्या 178 रकबा 16–0660 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख ...08/08/25... को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

07/07/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। चूंकि मूलवाद जरिए राजीनामा डिक्री किया जा चुका है, तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः [illegible] आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] मूलवाद के साथ हो।

नि. खेयाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:40:24 IST
Reason: SelfAttested